भाग—III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

संख्या का०आ० 66/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/2017.— चूंकि, राज्य में स्क्रीनिंग संयंत्र स्वामियों से वर्तमान इकाईयों के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र के निर्धारित पैरामीटरों का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे;

इसलिए, अब भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 152 (ई0), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 57/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7/2017, दिनांक 2 अगस्त, 2017 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का आ0 5/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7/2016, दिनांक 10 मार्च, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 5/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7/2016, दिनांक 10 मार्च, 2016, में, अनुसूची 1 में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3
''13.	किसी शैक्षिक संस्था से न्यूनतम दूरी	0.25''

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।